न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -26/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सम्बत सेठ बनाम अर्जुन सेठ वगैरह

20.10.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – सम्बत सेठ पिता–स्व० मनशा सेठ, ग्राम–तमाड़, मंडप टोला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – 1.अर्जुन सेठ, 2.रामा सेठ, 3.कमल सेठ तीनो पिता–स्व० गुरूवा सेठ, ग्राम–तमाड़, राजा मुहल्ला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–26/06/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता 1.अर्जुन सेठ, 2. रामा सेठ, 3.कमल सेठ तीनो पिता–स्व० गुरूवा सेठ, ग्राम–तमाड़, राजा मुहल्ला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़/241	859	3019	0.11 ए० चौहद्दीः– उ०–मिथिलेश सेठ। द०–रामा सेठ। पू०–विक्रेता नीज। प०–मिथिलेश सेठ।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–428(ii) दिनांक–04/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत कार्तिक सेठ वगै० पिता–तपन सेठ वगै० के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता पंजी II रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम छुटु सेठ वगै० पिता–कार्तिक सेठ है। तथा रैयत के पास रकबा–5.94½ एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020–21 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता लगते है। तथा उतराधिकारी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन III किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास रकबा–2.86 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को जरूरी कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय धोबी जाति के है जो अनुसूचित जाति में आता है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना तमाड़ के अन्तर्गत निवास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता सम्बत सेठ पिता–स्व० मनशा सेठ, ग्राम–तमाड़, मंडप टोला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती, को क्रेता 1.अर्जुन सेठ, 2.रामा सेठ, 3.कमल सेठ तीनो पिता–स्व० गुरूवा सेठ, ग्राम–तमाड़, राजा मुहल्ला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–29/06/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता सम्बत सेठ पिता–स्व० मनशा सेठ, ग्राम–तमाड़, मंडप टोला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती, को क्रेता 1.अर्जुन सेठ, 2.रामा सेठ, 3. कमल सेठ तीनो पिता–स्व० गुरूवा सेठ, ग्राम–तमाड़, राजा मुहल्ला, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–धोबी, पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.14 13:37:48 +05:30
Location: 10.93.79.7

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।